कार्यालय जिला अधिकारी, बरेली।

पत्रांकः जि.अधि / कोविड–19 / 2020–21 / 4750

दिनांक 14.04.2020

–:आदेश:–

समस्त कार्यालयाध्यक्ष
जनपद–बरेली।

शासनादेश सं0 786 / तीन–18–06(9) / 18 दिनांक 12 अक्टूबर 2018, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019–20 / 8375 दिनांक 13.04.2020 एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधिप्रशासन उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक एफ0एम0डी0ए0 / खाद्य / 1122 दिनांक 25.03.2020 के क्रम में **कोविड–19** माहमारी का संक्रमण एव व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है जिसको रोकथाम हेतु पूरे प्रदेश में दिनांक 25.03.2020 से लॉकडाउन घोषित किया गया है। पान मसाला खा कर थूकने तथा पान मसाला का पाउच छोटा होने के कारण उसका उपयोग करने पर भी कोविड–19 महामारी का संक्रमण फैलने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 30(2) (क) में आयुक्त खाद्य सुरक्षा को प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत पान मसाला के विनिर्माण, वितरण एंव विक्रय पर प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से लगाया जाता है, उल्लेखीनीय है कि प्रदेश में गुटके का विनिर्माण भण्डारण वितरण एवं विक्रय दिनांक 01.04.2020 से ही प्रतिबंधित है।

गुटका / पान मसाले पर उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 16(2) (iv) का उल्लंघन होगा जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं ऐसे प्रतिष्ठान जो इस आदेश का उल्लंघन करते पाये जायेंगे उनका लाईसेन्स / पंजीकरण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम–2011 के विनिमय 2.1.8(4) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने एंव प्रतिष्ठान बन्द कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(नितीश कुमार)
जिलाधिकारी, बरेली।

पत्रांकः जि.अधि. / कोविड–19 / 2020–21 /

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण सेवायें, बरेली मण्डल बरेली।
6. मुख्य विकास अधिकारी, बरेली।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली।
8. अपर जिलाधिकारी(नगर), बरेली।
9. नोडल / सह नोडल अधिकारी, (तम्बाकू) बरेली।
10. श्री सुरजीत सिंह, प्रतिनिधि, उ0प्र0 वॉललण्टरी हेल्थ एसोसिएशन शाखा, बरेली।
11. व्यापार मण्डल एसो0, बरेली।
12. कैमिस्ट एवं ड्रग एसो0, बरेली।
13. अध्यक्ष, होटल एसो0, बरेली।

जिलाधिकारी,
बरेली।